



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जनवरी 2015—माघ 9, शक 1936

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2015

एफ. क्र. 1(ए) 48-2014-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भरती नियम, 2009 में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 35 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“35	सांख्यिकी अन्वेषक.	378	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2800	1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (वेतनमान रु. 9300—34800+3600) के कुल 378 पद स्वीकृत हैं, ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा पर पद का नाम संशोधित कर सांख्यिकी अन्वेषक किया गया है।

1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (वेतनमान रु. 9300—34800+3600) के कुल 378 पद स्वीकृत हैं, ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा पर पद का नाम संशोधित कर सांख्यिकी अन्वेषक किया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. वर्तमान में, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पद डाईंग केडर घोषित किया गया है। तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 48 कर्मचारियों का महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन के आदेश क्रमांक एफ 1 (बी) 05/2014/50-1 दिनांक 18-12-2014 द्वारा सांख्यिकी अन्वेषक के पद पर संविलयन किया गया है।”.

2. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 38 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता	अभ्युक्ति (पद का नया नाम)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“महिला एवं बाल विकास विभाग.	सांख्यिकी अन्वेषक.	378	100 प्रतिशत	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (वेतनमान रु. 9300—34800+3600) के पद के लिए कुल 378 पद स्वीकृत हैं, ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा पर पद का नाम संशोधित कर सांख्यिकी अन्वेषक किया गया है।”.	-	-

3. अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“6.	सांख्यिकी अन्वेषक.	21 वर्ष 40 वर्ष	(1) किसी एक विषय में स्नातक उपाधि तथा सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में. 1. सांख्यिकी 2. गणित 3. वाणिज्य 4. समाजशास्त्र 5. सामाजिक कार्य 6. अर्थशास्त्र (2) कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।”.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उड़के, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2015

क्र. एफ.1 (ए)46-2014-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (ए) 48-2014-पचास-1, दिनांक 29 जनवरी, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उड़के, अपर सचिव।

Bhopal, the 29th January 2015

F No. 1 (A)48-2014-L-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Mahila Eevam Bal Vikas Vibhag, Class-III (Executive) Service Recruitment Rules, 2009 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In Schedule-I, for serial number 35 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of the Post included in the service	Total No. of posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“35.	Statistical Investigator.	378	Class-III	5200—20200+2800	<p>1. Total 378 posts are sanctioned for the Post Assistant Statistical Officer (Pay Scale of Rs. 9300—34800+3600) The Name of Post has been amended on the recommendation of the Bramhswrup Committee which is Statistical Investigator.</p> <p>2. At the present, the Post of Assistant Statistical Officer is declared dying cadre. The 48 employees they were working from the Oil Federation on deputation are absorbed on the post of Statistical Investigator by the Women and Child Development Department's Order No. F 1(B)05/2014/50-I dated 18th December, 2014”</p>

2. In Schedule-II, for serial number 38 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Name of Department	Name of Service or Post	Total No. of Posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remarks (New Name of Post)
			By direct recruitment	By promotion of members of the Service	By temporary/ transfer/ deputation of persons from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“Woman and Child Development.	Statistical Investigator.	378	100%	-	-	Total 378 Posts are sanctioned for the post Assistant Statistical Officer (Pay Scale of Rs. 9300—34800+3600) The designation has been amended on the recommendation of the Bramhswrup Committee which is Statistical Investigator.”.

3. In Schedule-III, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of Posts	Prescribed Age limit		Educational Qualification
		Minimum (3)	Maximum (4)	
(1)	(2)			(5)
“6.	Statistical Investigator.	21 years	40 years	(1) Graduate Degree in any one subject and Statistics as a compulsory subject. 1. Statistics 2. Mathematics 3. Commerce 4. Sociology 5. Social Work 6. Economics (2) Diploma in Computer Application.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
RAJNI UIKEY, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2015

एफ. क्र. 1(ए)-48-2014-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2011 में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 10 एवं 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	अभ्युक्ति (पद का नया नाम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
महिला एवं बाल विकास विभाग.	10. बाल विकास परियोजना अधिकारी.	453	50 प्रतिशत प्रतिशत	- 50 प्रतिशत पद सहायक सांचिकी अधिकारी एवं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी की पदोन्नति हेतु पूर्ववत् आरक्षित रहेंगे. किन्तु फोडर संवर्ग उपलब्ध नहीं होने पर सांचिकी अन्वेषक के 378 पद एवं पर्यवेक्षक के 3213 पद बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षित रहेंगे. पदोन्नति के 227 पदों

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
महिला एवं बाल विकास विभाग.	11. खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी.	313	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	में से सांख्यिकी अन्वेषक के लिए 11 प्रतिशत पद तथा पर्यवेक्षक के 89 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। तदनुसार पदोन्नति हेतु 25 पद सांख्यिकी अन्वेषक तथा 202 पद पर्यवेक्षक के लिए आरक्षित रहेंगे।
2.	अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक 2 (क) एवं (ख) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-					50 प्रतिशत पद एकीकृत बाल विकास सेवा के पर्यवेक्षक संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।”
<hr/>						
विभाग का का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदेन्नति की जानी है		पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
“महिला एवं बाल विकास विभाग). ”	2. (क) सांख्यिकी अन्वेषक।	बाल विकास परियोजना अधिकारी।	10 वर्ष	-तदैव-	बाल विकास परियोजना अधिकारी की पदोन्नति हेतु 227 पदों में से 11 प्रतिशत अर्थात् 25 पद आरक्षित रहेंगे।	
<hr/>						
(ख) पर्यवेक्षक	बाल विकास परियोजना अधिकारी।	10 वर्ष	-तदैव-	बाल विकास परियोजना अधिकारी की पदोन्नति हेतु 227 पदों में से 89 प्रतिशत अर्थात् 202 पद आरक्षित रहेंगे।		
<hr/>						
टिप्पणि:-पदोन्नति हेतु फीडर संवर्ग सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ सांख्यिकी अन्वेषक उपलब्ध नहीं होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी की पदोन्नति पर्यवेक्षक संवर्ग से की जाएंगी।						

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उड़िके, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2015

क्र. एफ. 1(ए) 48-2014-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (ए) 48-2014-पचास-1, दिनांक 29 जनवरी, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उड़िके, अपर सचिव।

Bhopal, the 29th January 2015

F No. 1 (A)48-2014-L-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Women and Child Development (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2011 namely :—

AMENDMENTS

1. In Schedule-II, for serial number 10 and 11 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“Name of Department	Name of the Post	Total No. of Post	Percentage of the Posts to be filled in			Remark (New Name of Post)
			By Direct Recruitment	By Promotion from substantive Members of Service	By temporary/ transfer/ deputation/ from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Woman and Child Development Department.	10. Child Development Project Officer.	453	50%	50%	-	50% Post shall be already reserved for promotion of Assistant Statistical Officer and Assistant Child Development Project Officer but the feeder cadre are not available, then 378 Post of Statistical Investigator and 3213 Post of Supervisor shall be reserved on the promotion Post of Child Development Project Officer 227 total Post of promotion, 11% Post for Statistical Investigator and 89% of Supervisor shall be reserved. Accordingly 25 Post of Statistical Investigator and 202 Post of Supervisor shall be reserved for promotion.
	11. Block Women Empowerment Officer.	313	50%	50%	-	50% Post shall be filled by Promotion of Supervisor Cadre of Integrated Child Development Service.”.

2. In Schedule-IV, for serial number 2(a) and (b) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Name of Department	The Name of Post from which promotion is to be made	The name of the Post on which promotion is to be made	Minimum period of service required for promotion	Departmental Promotion Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“Woman and Child Development Department.	2. (a) Statistical Investigator.	Child Development Project Officer.	10 years	-do-	11% Posts of Child Development Project Officer shall be reserved for promotion out of 227 Post i.e. 25.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(b) Supervisor	Child Development Project Officer.	10 years	-do-	89% Posts of Child Development Project Officer shall be reserved for promotion out of 227 Post i.e. 202. Note.— If the feeder cadre of Assistant Statistical Officer/ Statistical Investigator are not available for promotion, then promotion of Child Development Project Officer shall be made from Supervisor Cadre.”.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJNI UIKEY, Addl. Secy.